भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 277
गुरुवार, 7 अगस्त, 2025/16 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

विमानों की संपरीक्षा

***277. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को देश में संचालित सभी विमानों की संपूर्ण संपरीक्षा करने का निर्देश दिया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश में संचालित विमान कंपनियों ने अपने-अपने विमानों की ऐसी संपरीक्षा शुरू कर दी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ऐसी घटनाएँ हुई हैं जहाँ उड़ान भरने से पहले ही उड़ान भरने योग्य प्रमाणित विमानों को तकनीकी खराबी के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) यह प्रमाणित किए जाने हेतु जिम्मेदार प्राधिकारी कौन है कि विमान उड़ान भरने योग्य है; और
(ङ) सरकार द्वारा मौजूदा निरीक्षण प्रणालियों की सुदृढ़ता के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"विमानों की संपरीक्षा" के संबंध में श्री टी. एम. सेल्वागणपति द्वारा पूछे गए दिनांक 07.08.2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 277 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ) नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के पास सुरक्षा निगरानी कार्य अर्थात संगठन/विमानों की नियोजित और अनियोजित निगरानी, जिसमें अनुरक्षण परिपाटियों सहित सभी प्रचालकों के लिए नियमित एवं आवधिक ऑडिट, स्पॉट जाँच, रात्रि निगरानी और रैंप निरीक्षण शामिल हैं, हेतु एक संरचित निगरानी और ऑडिट फ्रेमवर्क मौजूद है। यदि इनमें कोई उल्लंघन होता है तो डीजीसीए अपनी प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया मैनुअल के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है।

दिनांक 12.06.2025 को एअर इंडिया की उड़ान एआई-171 बोइंग 787 के दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात, डीजीसीए ने एअर इंडिया के सभी 33 787-ड्रीमलाइनर विमानों की जाँच/निरीक्षण का आदेश दिया है। कुल 33 विमानों में से 31 परिचालन विमानों का निरीक्षण किया गया है, जिनमें से 8 विमानों में मामूली खामियाँ पाई गईं थीं। इन विमानों को सुधार के पश्चात परिचालन के लिए रिलीज कर दिया गया है। शेष 2 विमान निर्धारित रखरखाव के अध्यधीन हैं।

इसके अतिरिक्त, डीजीसीए ने दिनांक 19 जून 2025 को सामान्य सुरक्षा परिपत्र 01/2025 जारी किया है, जो विमानन ईकोसिस्टम का आंकलन करने और विमानन सुरक्षा आर्किटेक्टर को सुदृढ़ करने के लिए वृहत विशेष ऑडिट से संबंधित है।

वर्ष 2025 (आज की तारीख तक) में, तकनीकी कारणों से 02 आपातकालीन लैंडिंग रिपोर्ट की गई हैं। इनका विवरण निम्नलिखित हैः

एअर इंडिया एक्सप्रैस	01
इंडिगो	01

उपर्युक्त के अतिरिक्त, मेसर्स एअर इंडिया के विमान वीटी-एएनबी ने दिनांक 12.06.2025 को मेडे (आपातकाल) की घोषणा की थी और अंततः वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

डीजीसीए ने उड़नयोग्यता प्रमाणपत्र और उड़नयोग्यता समीक्षा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नागर विमानन अपेक्षा (सीएआर) निर्धारित की है। ये दोनों प्रमाणपत्र डीजीसीए द्वारा जारी किए जाते हैं। विमान को निरंतर उड़नयोग्यता की स्थिति में बनाए रखना प्रचालक की ज़िम्मेदारी होती है। इसके पश्चात, डीजीसीए विमान की उड़नयोग्यता सुनिश्चित करने के लिए विमान के रखरखाव रिकॉर्ड की भी जाँच करता है।

*****